

राजस्थान-सरकार

कार्यालय उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग कोटा

क्रमांक:- स्टोर/2020-21/3018

दिनांक :- 05/03/2021

:-बोली निरस्तीकरण आदेश:-

निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएँ राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक F.26(4)(PSK)IEC/ ICDS/2014/Part/18795-827 दिनांक 03.02.21 के क्रम में प्री स्कूल किट सामग्री क्रय बाबत पत्रांक 2759 दिनांक 15.02.2021 से ई बिड सूचना संख्या 02/2021 NIB No. ICD2021A0084 UBN NO ICD2021GLOB00078 E-proc Tender ID 2021_ICDS_213721_1 का प्रकाशन करवाया गया, आरटीटीपी नियम 56 के तहत तकनीकी बोली प्रपत्रों की समीक्षा उपरान्त नियम 57 के तहत तैयार की गई, तकनीकी बोलियों के अर्हता तुलनात्मक विवरण का अवलोकन पश्चात् नियम 65 व 68 के प्रावधानों के तहत एक मात्र फर्म की वित्तीय बोली खोली जाकर मूल्यांकन किया गया, तद्दानुसार फर्म मोक्तिक प्रा0 लि0 की दरें अधिक होने पर नियम 69 के प्रावधानानुसार फर्म को नेगोशिएशन हेतु पत्रांक 2981 दिनांक 03.03.21 जारी किया गया, फर्म द्वारा नेगोशिएशन पत्रांक दिनांक 05.03.2021 को प्राप्त ई-मेल में दरें अंसतोषजनक होने के कारण आरटीटीपी नियम 68(4) 69(7) के प्रावधानो के अनुसार उपापन समिति द्वारा निरस्त किये जाने का निर्णय लिया जाकर, निरस्त किया गया है।


(कृष्णा देवी)
उपनिदेशक

महिला एवं बाल विकास विभाग,


क्रमांक:- स्टोर/2020-21/3019-21

दिनांक:- 05/03/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ

1. श्रीमान निदेशक महोदय, समेकित बाल विकास सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।
2. मैसर्स मौक्तिक प्राईवेट लिमिटेड उदयपुर, 22 न्यू गणेश नगर, रूप सागर रोड, उदयपुर।
3. लेखा/स्टोर उक्त बोली निरस्तीकरण आदेश राजस्थान लोक उपापन पोर्टल की

वैबसाइट www.sppp.rajasthan.gov.in/www.eprocrajasthan.gov.in पर प्रकाशित करवाने हेतु


(कृष्णा देवी)
उपनिदेशक

महिला एवं बाल विकास विभाग,
कोटा।